

Ref 70

To,
The Deputy Accountant General
Fund-74 Section
Office of A.G. (A&E)-2 U.P.
Allahabad.

3
No 11044 iv 2776 / Admin(A-1) Dated 30-7-99 Allahabad.
Subject: Allotment of G.P. Fund number to Sri Arun Kumar Saxena, H.J.S, Addl District and Sessions Judge Fatehpur.

Sir,
I am directed to send here with a letter dt 15.5.99 along with G.P. Fund nomination ^{on} form of Sri A.K. Saxena Addl District Judge Fatehpur duly forwarded by the District Judge Fatehpur ^{for the allotment of G.P. Fund number in favour of Sri A.K. Saxena as aforesaid.} ~~form no 472 and 472 B for allotment of G.P. Fund number.~~

I therefore request you kindly to allot ^{me} G.P. Fund number to Sri A.K. Saxena under intimation to this Court as well as the District Judge Fatehpur and the officers concerned at an early date.

Yours faithfully
Rajendra Prasad
23/7/99
Deputy Registrar

D.R. (M)
May issue?
Qurup K Rai
22/7/99
R.A. Pandey
22/7/99

4
No 11045 iv 2776 / Admin(A-1) Dated 30-7-99 Allahabad.
Copy forwarded for information to +

yes.
Rajendra Prasad
DR (M)
23/7/99

- (i) The District Judge Fatehpur with reference to his sendt no 434/2015/99
- (ii) Sri Arun Kumar Saxena Addl District & Sessions Judge, Fatehpur.

Rajendra Prasad
DR (M)
23/7/99
Deputy Registrar.

Reg No... 8223
Sd/- 27/5
No... 2776
Serial No...

4-24-88

Ref: 70

R 797
21-5-99

From,

A.K. Saxena, H J S,
Addl. District & Sessions Judge,
Fatehpur.

2
31.5.99
5/5-99

2012

To,

The Registrar,
Hon'ble High Court of Judicature at
Allahabad.

Through: The District Judge,
Fatehpur.

No. 439 / I Dated Fatehpur May 15, 1999.

Subject:- Submission of Form for allotment of G.P.F. Number.

Sir,

I have the honour to enclose herewith the
G.P.F. Form duly filled by me in duplicate, for allotment
of G.P.F. number, for perusal and issuance of necessary
directions.

Thanking you in anticipation,
With regards.

Yours faithfully,

Encl: G.P.F. Form in duplicate.

~~(A.K. Saxena)~~

~~Addl. Distt. & Sess. Judge,
Fatehpur,
15.5.1999.~~

(14)
JRCM
22 MAY 1999

7/6

FORM NO. 30.
(RASHMITH PRAKASH)
DISTRICT JUDGE,
FATEHPUR.
DISTRICT JUDGE
FATEHPUR

दूसरी (अनुपागत) प्रपत्र संख्या---472

Ref 70

उन अभिदाताओं के प्रयोगार्थ जिनके परिवार हों

(प्रपत्र का मूल पृष्ठ)

इस प्रपत्र को भरने से पूर्व कृपया इसके दूसरी ओर छपे हुए अनुदेश सावधानी से पढ़ लिए जाएं

भविष्य निधि लेखा संख्या-----

भविष्य निधि नामन (Provident Fund Nomination)

मैं-----एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली के नियम 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार का/के सदस्य है/हैं निधि में मेरे नाम जमा धनराशि को उस दशा में निम्नलिखित रूप में प्राप्त करने के लिए नामित करता/करती हूँ जब उस धनराशि के दाय होने से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाय या दाय होने पर जिसका भुगतान मुझे न हुआ हो और मेरी मृत्यु हो जाय :---

| नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पूरा पता | अभिदाता से सम्बन्ध | नामित व्यक्ति की आय | प्रत्येक नामित व्यक्ति को दाय अंश (शेयर) | अकस्मिकताएं, जिनके होने पर नामन अवैध हो जायगा | यदि अभिदाता की मृत्यु से पूर्व नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाय, तो उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते और सम्बन्ध, यदि कोई हो जिसे/ जिन्हें नामित व्यक्ति के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे |
|--|--------------------|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SMT. HEERA SARENA WIFE | | NIL | ENTIRE | NIL | - NIL - |

दिनांक 15 मास 05 199 9

[Signature]
अभिदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर के दो साक्षी :

नाम

पता

हस्ताक्षर

1.

[Signature]

मोहम्मद V ADJ Fatehpur

[Signature]

2.

[Signature]

Anil Kumar Gupta 2nd Floor, J. N. B. Bldg. near Gurdwara

Ref: 70

(2)

(प्रपत्र के दूसरी ओर का भाग)

कार्यालयाध्यक्ष/महालेखाकार के कार्यालय के प्रयोग के लिए स्थान
श्री/श्रीमती/कुमारी----- का नाम
पदनाम----- के
नामन की प्राप्ति का दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी
(पदनाम)

दिनांक-----

अभिदाता के लिए अनुदेश---

- (क) आपका (अभिदाता का) नाम पूरा भरा जाय ।
(ख) भविष्य निधि निधि का पूरा नाम सही-सही लिखा जाय ।
(ग) शब्द 'परिवार' की परिभाषा, जैसी कि भविष्य निधि नियमावली में दी गई है, से उद्धृत की जाती है :---
'परिवार' का तात्पर्य निम्नलिखित से होगा :---

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में, अभिदाता की पत्नी अथवा पत्नियां तथा बच्चे एवं अभिदाता के मत पत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदाता यह स्पष्ट कर देता है कि उसकी पत्नी का उससे न्यायिक पार्थक्य (Judicial separation) हो चुका है अथवा वह जिस समुदाय की है उसकी रूढ़िगत विधि के अधीन भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं रह गई है, तो वह एतदपश्चात् इन नियमों से सम्बन्धित मामलों में अभिदाता के परिवार की सदस्यता न मानी जायेगी, जब तक कि अभिदाता बाद में कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी को लिखित रूप में स्पष्ट अधिसूचना (Express notification) द्वारा यह न सूचित करे कि उसे ऐसा माना जाता रहेगा ।

(दो) किसी महिला अभिदात्री के मामले में, अभिदात्री का पति तथा बच्चे और अभिदात्री के मत पत्र की विधवा अथवा विधवाएं तथा बच्चे; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभिदात्री लिखित अधिसूचना द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/लेखाधिकारी से अपने पति को अपने परिवार में सम्मिलित न किए जाने की इच्छा व्यक्त कर देती तो पति को एतदपश्चात् इन नियमों से सम्बन्धित मामलों में अभिदात्री के परिवार का सदस्य न माना जायेगा जब तक कि अभिदात्री बाद में उसे सम्मिलित न किए जाने की अपनी अधिसूचना को औपचारिक रूप से लिख कर रतद न कर दे ।

टिप्पणी---(1) 'बच्चों' का तात्पर्य बंध बच्चों से है ।

(2) कोई दत्तक बच्चा तभी बच्चा माना जायेगा जब लेखाधिकारी अथवा, यदि लेखाधिकारी के मन में कोई सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो सरकार के विधिपरामर्शी को इस बात का समाधान हो जाय कि अभिदाता की वैयक्तिक विधि (Personal Law) के अधीन दत्तक ग्रहण को 'जाराज बच्चे' (ural child) की प्रास्थिति (Status) प्रदानकरण के लिए विधिक राय से मान्यताप्राप्त है, किन्तु केवल इसी मामले में ।

- (घ) यदि केवल एक व्यक्ति ही नामित किया गया हो तो नामित व्यक्ति के सामने शब्द 'पूरा अंश' लिखा जाय । यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित किए जाते हैं तो प्रत्येक नामित व्यक्ति को दिये अंश जिसमें भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय, निर्दिष्ट किया जाय ।
(ङ) स्तम्भ 5-इस स्तम्भ में आकांक्षकता के रूप में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की मृत्यु का उल्लेख न किया जाय ।
(च) स्तम्भ 6-इस स्तम्भ में अपने नाम का उल्लेख न किया जाय ।
(छ) अन्तिम प्रविष्टि के नीचे के खाली स्थान के आर-पार लकीर खींच दी जाय, जिससे कि आपके हस्ताक्षर करने के बाद कोई नाम बढ़ाया न जा सके ।

Ref 70

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) को स्वीकार करने का प्रार्थना - पत्र

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|---|-----------------------|---|---|-----------|
| प्रार्थी का पूरा नाम वड़े अक्षरों में, जन्म-तिथि और पिता का नाम | सरकारी पदनाम | कार्यालय, जिससे सम्बद्ध हो, यदि प्रति-नियुक्ति पर हो, तो मूल विभाग/सरकार का भी उल्लेख कीजिए | सेवा, जिसमें प्रार्थी काम करता हो | क्या प्रार्थी स्थायी अस्थायी अथवा पूर्णनियुक्ति है? यदि अस्थायी हो तो सेवा शुरू होने का दिनांक लिखिये | क्या स्थायी पद, जिस पर वह स्थायी है पेंशन वाला है या बिना पेंशन का है | प्रार्थी का वेतन-क्रम | प्रतिमास परि-लब्धियों की दर (सा 0 भ 0 निधि नियमावली का नियम 11) | प्रतिमास अभिदान की दर | यदि किसी अन्य निधि का अभिदान है, तो उस निधि का नाम और लेखा-संख्या | *लेखा-संख्या, जिसकी लेखाधिकारी/आहरण अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जायगी | अभ्युक्ति |

ARUNKUMAR ADDL. HIGH HJS
SAYENA DIST. COURT
29.09.1956 JUDGE

PERMANENT
PENSION

16,400/-
to - 10% NIL
29,000/-

SH. KAUSHAL KUMAR

Roana
17.5.99
DISTRICT JUDGE

विहित प्रपत्र में यथाविधि भरे हुए नाम का एक प्रपत्र संलग्न है।

प्रार्थी का हस्ताक्षर-----

Arunkumar Sayena
ADDL. DIST. JUDGE

पदनाम-----

दिनांक-----

15.5.99

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर और पदनाम

आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

सभी पत्र-व्यवहार में इस संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।